"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जनवरी 2018 —— पौष 11, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2018

अधिसूचना
सं. 1/2018 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-97/2017/वाक/पांच (190). —— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 10 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जी एस टी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46-2017/वाक/पांच (90), तारीख 1 जुलाई, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 274 में, तारीख 4 जुलाई, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, -

(क) उप-वाक्य (i) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-वाक्य (iii) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-97/2017/वाक/पांच (190).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-97/2017/वाक/पांच (190), दिनांक 1-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st January 2018

NOTIFICATION
No. 1/2018 - State Tax

No. F-10-97/2017/CT/V (190) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, notification No. F-10-46/2017/CT/V (90), dated the 1st July, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 274, dated the 4th July, 2017, namely :-

In the said notification, in the opening paragraph,-

(a) in clause (i), for the words "one per cent.", the words "half per cent." shall be substituted;

(b) in clause (iii), for the words "half per cent. of the turnover", the words "half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.